जालौन पुलिस

112 उत्तर प्रदेश पुलिस

Operation Conviction

धोखाधड़ी के अभियोग में 1 अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास एवं 7,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रारंभ की गई पैरवी अधिकारी स्कीम के अंतर्गत जालौन पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (सी.जे.एम. कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।

कोतवाली उरई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 245/2020 धारा 420/467/468/471 भादवि के अभियुक्त 1. राजू पुत्र पंचम नि0 इन्द्रानगर कोतवाली उरई जनपद जालौन को माननीय न्यायालय (सी.जे.एम. कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 07 वर्ष का कारावास एवं 7,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
विनोद कुमार



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



उ0नि0 राजेन्द्र सिंह
कोर्ट मुहर्रिर



का0 विजय राज
कोर्ट पैरोकार

@jalaunpolice